

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या— प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2015/965

लखनऊ: दिनांक: 14-5-2015

—कार्यालय ज्ञाप—:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुमोदन के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में दिनांक १३/०५/२०१५ को बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2015-16 में आवेदित नई संरक्षणों को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संरक्षणों का अनुमोदन विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता यूंदि हेतु सत्र 2015-16 तक सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें भद्र-३ में लिये गये निर्णय के अनुसार डिग्री रसीदी संरक्षण में हितीय पात्री में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम को प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2015-16 हेतु गिम्नासित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है—

| क्रम संखा | संरक्षण का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | सत्र 2014-15 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | सत्र 2015-16 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|-----------|--|------------------------------------|--|--|
| १ | द्रावरात्रेम इर्जी० आफ टैक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, मवाना गोड, राजपुरा गोरठ। (संरक्षण कोड-८०७) | शिविल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्र०३०) | ६० ६० | ६० ६० |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संरक्षण ए०आई०सी०टी०इ० हेतु द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संरक्षण उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमबाली 1992 तथा अन्य नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु र०— २८,०००.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु र०— २०,०००.०० शुल्क ही प्रथेक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्भत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तबनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2015-2016 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संरक्षण को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संरक्षणों को सम्बद्ध किया जाना) विनियमबाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संरक्षण में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की रिक्ति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ४०आई०सी०टी०ई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये याच्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था रखयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबगाइट पर संस्था की समस्त शूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रसाफ़, साज़—सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण—प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वारावरण उपलब्ध कराने के साथ रैरिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(एस० एन० सिंह)
सचिव

पृ०- प्राशिप/परिषद/2015/ ९८६-१३४५

तद दिनांक: 14-5-2015

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य, ट्रान्सलेम इरटी० आफ टैक्नालोजी एण्ड मैनेजमेंट, मवाना रोड, रजपुरा मेरठ।
(संस्था कोड-६०७)

(एस० एन० सिंह)
सचिव